तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/9/19	पत्रावली पेश हुई।	

वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0।
उभय पक्ष को सुना।

वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा आंरग पटवार मण्डल आरंग तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 695.05 बीघा किस्म बा.चा. का आया हुआ है। उक्त भूमि वादी को पिता दानकरण के फौत होने पर प्राप्त हुई है। वादी का नाम तखतदान के स्थान पर वादी के भाईयों के साथ वादी का नाम तगदान दर्ज कर दिया। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापत्ति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबदी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम तखतदान ही है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 146 रकबा 695.05 बीघा भूमि, किस्म बा0चा0 मौजा आरंग, पटवार मण्डल आरंग, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम तगदान के स्थान पर तखतदान घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला–बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– तखतदान पुत्र दानकरण, जाति–चारण, नि0 आंरग, तह0 शिव जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी पैराकार उप0।

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 11.09.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 695.05 बीघा मौजा आंरग, पटवार मण्डल आंरग, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम तगदान के स्थान पर तखतदान घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 11.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:32:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: